निर्णय ब इजलास कल्पना अग्रवाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली--बहरोड़

प्रकरण संख्या : 67 / 2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. बाबुलाल पुत्र श्री सुखदेव जाति अहीर निवासी ग्राम रोडवाल तहसील नीमराणा जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

1. शकुन्तला देवी पत्नी हजारी
2. दिनेश पुत्र हजारी
3. अनिता पुत्र हजारी
4. मीरा पुत्री हजारी
5. सरीता पुत्र हजारी

समस्त जातियान अहीर निवासी मौहल्ला बास, नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।

6. पीठासीन अधिकारी श्री पंकज बडगुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी नीमराणा जिला कोटपूतली--बहरोड

अप्रार्थीगण

7. कमला पत्नी जगरूप सिंह
8. सुनिल पुत्र जगरूप सिंह
9. सुधीर पुत्र जगरूप सिंह
10. प्रभातीलाल पुत्र सुखदेव
11. मनपाल पुत्र सुखदेव
12. विजय कुमार पुत्र रामेश्वर
13. पूनम पुत्री सतीशचन्द
14. पूजा पुत्री सतीशचन्द
15. अजय पुत्र सतीशचन्द
16. प्रेम देवी पत्नी राजेन्द्र
17. सरिता पुत्री राजेन्द्र
18. सरला पुत्री राजेन्द्र
19. मंजू पुत्री राजेन्द्र
20. अंतिम पुत्री राजेन्द्र
21. नीरज पुत्र राजेन्द्र

समस्त जातियान अहीर निवासी ग्राम रोडवाल तहसील नीमराणा जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।

(मुहर: जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते)

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

तरतीबी अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नीमराणा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 407/2022 व स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 246/2022 बउनवानी बाबूलाल बनाम शकुन्तला को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री सुनील कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नीमराणा के समक्ष प्रकरण संख्या 161/2020 ब उनवानी बाबूलाल बनाम शकुन्तला विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी नीमराणा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि यह है कि प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीण के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर नीमराणा के समक्ष वाद मुकदमा नम्बर 161/2020 बउनवानी बाबुलाल बनाम शकुन्तला प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 16.08.2022 को डिक्री कर फैसल किया जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी दिनांक 06.10.2022 को प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के द्वारा नोटिस जारी होने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा दफा 05 मियाद अधिनियम का निस्तारण किये बिना ही प्रकरण को फैसल करने पर आमादा है तथा उनके द्वारा तीन माह में लगभग दस तारीख पेशी दी है। अप्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता लगातार वर्तमान पीठासीन अधिकारी के सम्पर्क में है व पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण द्वारा प्ररतुत प्रार्थना आदेश 09 नियम 13 सीपीसी को अप्रार्थीगण के पक्ष में फैसल करने पर अमादा है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के वर्तमान पीठासीन अधिकारी के आचरण से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा उपरोक्त प्रकरण में निष्पक्ष न्याय व निर्णय नही किया जाएगा। अन्त मे प्रार्थी ने निवेदन किया कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण व उनके प्रभाव में है इसलिए प्रार्थी को वर्तमान पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष

जिला कलक्टर बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

ला कलक्टर
पूतली–बहरोड़

न्याय मिलने की कतई उम्मीद नही है। इसलिए उपरोक्त पत्रावली का हस्तान्तरण उपखण्ड अधिकारी नीमराणा व बहरोड के राजस्व न्यायालय के अतिरिक्त जिले के अन्यत्र न्यायालय में किया जाना न्याय संगत है।

5. अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 की ओर से अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी बाबूलाल व उनके अधिवक्ता लगातार अधीनरथ न्यायालय के समक्ष विभिन्न प्रकार के बहाने बनाकर प्रकरण मे लगातार तारीख पेशी ले रहे है एवं अधीनरथ न्यायालय को पूर्व में मुगालता देकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध गलत रूप से इकतरफा कार्यवाही करवा इकतरफा निर्णय व डिक्री प्राप्त किया है। अप्राथीगण नारनोल महेन्द्रगढ हरियाणा निवास करते है एवं उनकी तामील जरिये डाक अथवा तामील कुनिंदा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ, हरियाणा से करवा जरिये अखबार करवाई गई एवं उपरोक्त अखबार का वितरण बहरोड व आसपास के क्षेत्र में होने वाले संस्करण में निकलवाई थी जिसका अप्रार्थीगण को जानकारी होना किसी भी सूरत में संभव नही था। उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों की स्वयं प्रार्थी को भली भांति जानकारी है एवं महज प्रकरण को लंबा कर इकतरफा प्राप्त डिक्री को यथावत रखने के प्रयासरत है जबकि अधीनरथ न्यायालय द्वारा आज दिवस तक किसी भी प्रकरण मे मुन्तकिल प्रार्थना पत्र लगाया जाना कानूनन संभव नही है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अप्रार्थी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का प्रार्थी द्वारा सिद्ध करना जाहिर किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मे लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नीमराणा को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड (राज.) सत्यमेव जयते

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड